UPBJ010060462026

न्यायालय District Judge, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sanjay Kumar.VII), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01997**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 2347/2026

दीदार सिंह बनाम सरकार

मुकदमा अपराध संख्याः– 294/2026
धाराः–109(1), 3(5), 351(2) बी0एन0एस0
थानाः–नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

दिनांकः– 29.07.2026

1– उपरोक्त प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत अभियुक्त **दीदार सिंह पुत्र श्री महल सिंह निवासी ग्राम भोगपुर, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 294/2026 अन्तर्गत धारा–109(1), 3(5), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जो कि शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा जरनैल सिंह द्वारा थाना प्रभारी थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर को तहरीर इस आशय की दी गयी कि वादी का अपने खेत के पड़ौसी दीदार सिंह से डोलबंदी को लेकर विवाद चल रहा है तथा इसी कारण से दीदार सिंह व उसके परिवार के व्यक्ति वादी व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। उक्त दीदार सिंह व सुखदेव सिंह व उनके लड़के वादी से रंजिश रखते हैं तथा ये यलोग कई बार वादी व उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। दिनांक 20.06.2026 की प्रातः करीब 9.30 बजे वादी का लड़का गुरप्रीत सिंह व वादी का धेवता आकाशदीप सिंह कोटद्वार मार्ग पर ग्राम मथुरापुर मोर थाना नजीबाबाद स्थित मन्नत ढाबे से मोटर साईकिल संख्या यू.पी. 20 बी.एल. 3395 पर बैठकर बाहर निकले तो वहां पर पहले से दीदार सिंह पुत्र श्री महल सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र श्री महल सिंह, अर्शदीप सिंह पुत्र श्री सुक्खे सिंह व गुजन्ट सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जान से मारने की नीयत से घ ाात लगाकर इंतजार कर रहे हैं। इनके से दीदार सिंह व सुखदेव सिंह ट्रक संख्या यू.के. 15 सी.ए. 1322 में बैठे थे तथा दीदार सिंह चला रहा था तथा अर्शदीप व गुजन्ट मोटर साईकिल पर बैठकर आने–जाने की सूचना दे रहे थे तथा चारीं लोग व उनके अन्य साथी वादी के लड़के व धेवते को जान से मारने की फिराक में थे। वादी के लड़के व धेवते की मोटर साइकिल कोटद्वार मार्ग पर आते ही दीदार सिंह ने ट्रक चलाकर जान से मारने की नीयत से मोटर साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी तथा मोटर साइकिल व उसपर सवार गुरप्रीत व आकशदीप को खींचते हुए ले गए। पीछे से दोनों मोटर साइकिल सवार पीछा कर रहे थे। इन सभी का इरादा दोनों को जान से मारने का था। वादी पहले दोनों घायलों को पूजा अस्पताल ले गया, जहां से आकाशदीप को पी.जी.आई. चण्डीगढ इलाज हेतु भेज दिया गया तथा गुरप्रीत पूजा अस्पताल में ही भर्ती है। दोनों चोटिलों को जान का खतरा बना हुआ है। इलाज कराने के कारण समय से प्रार्थनापत्र न दिया जा सका। **वादी द्वारा** प्रस्तुत उक्त तथ्यों के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0– 294/2026, धारा–109(1), 3(5), 351(2) बी0एन0एस0 का अभियोग प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

4– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न

ही प्रार्थी पूर्व सजायाफ्ता है। उपरोक्त मामले की एफ.आई.आर. लगभग 25 घंटे की देरी से थाने में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी मौके से गिरफ्तार नहीं है। वादी पक्ष ने अभियुक्तगण द्वारा उसे व उसके परिवारजनों को कई बार जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है, किन्तु इस सम्बंध में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी है। प्रार्थी ट्रक ड्राईवर है। प्रार्थी कोटद्वार के रहने वाले कुनाल के ट्रक पर ड्राईवर है। प्रार्थी कोटद्वार से ट्रक लेकर मण्डावली नजीबाबाद भट्टे से ईंट लेने आ रहा था। धारा 109(1) बी.एन.एस. का अपराध उपरोक्त मामले में नहीं बनता हे। मामला सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित है। जिससे अधिकतम धारा–281, 324 बी.एन.एस. का अपराध बनता प्रतीत होता है। लेकिन धारा 109(1), 3(5), 351(2) बी.एन.एस. में झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट व लीवर की गंभीर बीमारी से पीडित है। प्रार्थी को पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है। प्रार्थी का इलाज चल रहा है। प्रार्थी जिला चिकित्सालय बिजनौर में दिनांक 01.07.2026 व 02.07.2026 को भर्ती रहा है। प्रार्थी विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के लड़के गुरप्रीत सिंह व धेवते आकाशदीप सिंह की मोटर साइकिल संख्या यू.पी. 20 बी.एल. 3395 में जान–बूझकर पीछे से ट्रक संख्या यू.के. 15 सी.ए. 1322 से टक्कर मारकर जान से मारने के आशय से उन्हें तथा मोटर साइकिल को खींचकर चोटें पहुॅचायी गयी तथा वादी मुकदमा व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र गुरप्रीत सिंह एवं वादी के धेवते आकाशदीप सिंह की मोटर साइकिल संख्या यू.पी. 20 बी.एल. 3395 में जान–बूझकर पीछे से ट्रक संख्या यू.के. 15 सी.ए. 1322 से टक्कर मारकर जान से मारने के आशय से उन्हें तथा मोटर साइकिल को खींचकर चोटें पहुॅचाया जाना तथा वादी मुकदमा व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दिया जाना अभिकथित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में इस स्तर पर कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र व धेवते की मोटर साइकिल में पीछे से जान–बूझकर ट्रक से टक्कर मारकर जान से मारने की आशय से खींचकर चोटें पहुॅचायी गयी हों और न ही ऐसी कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी है। किसी भी चुटहिल को वर्तमान में उपचाराधीन होना नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में अभियुक्त को दिनांक 01.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

7– अतः अभियुक्त की जेल में निरूद्धता, अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **दीदार सिंह** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता हैं। अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–(पचास हजार) रुपये** के दो प्रतिभू व समान धनराशि के निजी बन्ध पत्र दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
29.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.29 17:18:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court